

## कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-483/1/सा.प्र.वि./विविध/2023/362

भिलाई, दिनांक 5/16/23

//आदेश//

थाना प्रभारी थाना उत्तर् जिला दुर्ग छ.ग. के पत्र क्रमांक/थाना प्रभारी/उत्तर्/1742/2022 दिनांक 10.11.2022 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार श्री सामेल राजू, सफाई कामगार दिनांक 09.09.2022 से न्यायिक हिरासत में रहे है। नियमानुसार शासकीय सेवक किसी अपराध या अन्य कृत्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया हो तब गिरफ्तारी की तिथि से 48 घण्टे तक जेल में बंद रहा हो, ऐसी स्थिति में छग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अनुसार कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन आदेश क्रं./एफ-483/1/सा.प्र.वि./विविध/2022/1423 भिलाई दिनांक 30.12.2022 के द्वारा श्री सामेल राजू, सफाई कामगार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

अतः श्री सामेल राजू, सफाई कामगार के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए निलंबन से बहाल किया जाता है।

(आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

अपर आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

पू.क्र./एफ-483/1/सा.प्र.वि./विविध/2023/363  
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 5/16/23

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. ~~जो न. आयुक्त, जो न. 45~~ नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
9. श्री सामेल राजू, सफाई कामगार नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

अपर आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई